कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांकः 1271 / 232 /आउशि/शा-5अ/2022 भोपाल दिनांक 07-10-2022

प्रति,

1- कुलसचिव,

समस्त विश्विद्यालय, मध्यप्रदेश

2- प्राचार्य,

समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/ निजी महाविद्यालय,मध्यप्रदेश

विषय - प्रवेशित विद्यार्थियों का महाविद्यालय में स्थानांतरण करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2022-23 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के साथ, जिस महाविद्यालय में प्रवेश स्थानान्तरित किया जाना है को प्रस्तुत करना होगा। सम्बंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य की सहमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में दिनांक 20 अक्टूबर 2022 तक महाविद्यालय स्थानान्तरित कर सकेंगे ।

विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी । एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जा सकेंगे । प्रवेश स्थानांतरण की दशा में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विधार्थी से लिया गया सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क तीन दिवस की समयावधि में स्थानांतरित महाविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा । विद्यार्थियों के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि पर्याप्त कारण होने पर विद्यार्थी को अन्य महाविद्यालय में जाने के लिए सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

सत्र 2023-24 से स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत महाविद्यालय स्थानांतरण की कार्यवाही 30 दिवस की समयावधि में पूर्ण की जाएगी ।

07/10/22

(कर्मवीर शर्मा)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, म. प्र.

पृ क्रमांक: 1272-1232 /आउशि/शा-5अ/2022 भोपाल दिनांक 07-10-22

प्रतिलिपिः-

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक कुलपति समस्त विश्विद्यालय मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
4. सीईओ , एमपी ऑनलाइन , डीबी सिटी मॉल अरेरा हिल्स भोपाल।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई टी, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल ।

.... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

07/10/22

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, म. प्र.